श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल रीवा कैम्प जिला रीवा (म0 प्र0)

5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 — विलोपित / विलोपित

Rs 201/-

राकेश कुमार पयासी उम्र–42 बर्ष तनय रामसजीवन पयासी निवासी ग्राम मोहनी थाना व तहसील जससिंह नगर जिला शहडोल (म0 प्र0)

R 5537-II/16

..............................निगरानीकर्ता

बनाम्

शिव प्रसाद सिंह कंवर तनय रुद्रभान सिंह कंवर उम्र–50 बर्ष, निवासी ग्राम मोहनी थाना व तहसील जससिंह नगर जिला शहडोल (म0 प्र0)

..............................गैरनिरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री सौरभ द्विवेदी, द्वारा प्रस्तुत 21.12.16

राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक–02/07/2015, जो अधीनस्थ कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0 प्र0) द्वारा राजस्व प्रकरण क्र0 82/अ 12/2014–15 द्वारा पारित किया गया। निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित हैं:–

1– यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0 प्र0) ने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 02/07/2015 कानूनी प्रावधानों को दृष्टि ओझल कर प्रकरण में प्रस्तुत पक्षकारों का विस्तृत विश्लेषण न कर निगरानी स्वीकारोक्ती का आदेश पारित किया है, जो निगरानीकर्ता के हितों पर कुठाराघात स्वरुप है, जिससे प्रश्नाधीन निर्णय व आदेश निरस्त होने योग्य है।

21.12.16

2– यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0 प्र0) ने जिन भूमियों के सीमांकन की कार्यवाही कर आदेश पारित किया है वह सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। राजस्व निरीक्षक ने अपने आदेश में प्रदर्श पी–02 का उल्लेख किया है जो कि सूचना है, उसमें

राकेश पयासी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक 5537-नि/16 जिला–शहडोल

राकेश कुमार पयासी/ शिव प्रसाद सिंह

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील जयसिंहनगर के प्रकरण क्रमांक 82/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	